Volume-II, No. 1, Feb -2015, pp. 1-7

हिन्दीः संवैधानिक स्थिति एवम् उसका व्यवहारिक रूप

डा. महिमा गुप्ता, शिक्षा–संकाय
एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा उत्तर–प्रदेश भारत।

साराशं

अध्ययन–अध्यापन काल में आड़े आने वाली कठिनाइयों को गाँठ में बाँधकर बहुत दिन तक अपने मन में संजोये रखा था, काफी समय तक उन गांठो को भिन्न–2 प्रकार से खोलने का प्रयास करती रहीं हूँ, ये गाँठे खुल–खुलकर पुनः गुलझठ बन जाती थी और बहुत प्रयास के बाद भी उलझी ही पड़ी रहती थी। मेरे अन्दर एक बैचेनी भरी घुटन का अनुभव हो रहा था। प्रस्तुत लेख उसी घुटन का परिणाम है। आज यह विषय मुझे उद्ववेलित कर रहा हैं कि हमारी भाषा हिन्दी की संवैधानिक स्थिति क्या हैं? और उसका व्यवहारिक रूप में किस प्रकार से प्रयोग हो रहा हैं।

इतिहास की दृष्टि से देखे तो हिन्दी भाषा का जन्म–काल संवत् 700 के लगभग माना जाता हैं, जब 'पुष्प' कवि ने अपने दोहों में अलंकार–विषयक एक ग्रन्थ की रचना की थी जिसे अपभ्रंश–भाषा कहना उचित होगा, यही अपभ्रंश भाषा पुरानी हिन्दी में बदलती गयी। हिन्दी शब्द को प्रयोग कें प्रमाण कुछ इस प्रकार से है। 'हिन्दुई' शब्द 'हिन्दु. ई' से बना है। हिन्दी, हिन्दुई या हिन्दवी का प्रयोग प्राचीन हिन्दी के लिये काफी पहले से मिलता है। तेरहवी सदी में औफी और अमीर खुसरों ने इसका प्रयोग किया हैं। 'खालिक बारी में' 'हिन्दी और हिन्दवी' दोनों का प्रयोग एक ही भाषा के लिये हुआ है, किन्तु हिन्दी का प्रयोग केवल पॉच बार है जबकि हिन्दवी का तीस बार। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले हिन्दी की तुलना में हिन्दवी नाम ज्यादा प्रचलित था, धीरे–धीरे 'हिन्दवी' नाम उस भाषा के लिये सीमित हो गया, जिसमें संस्कृत के शब्द अपेक्षाकृत अधिक थे, और 'हिन्दुस्तानी' उस भाषा को कहने लगे जिसमें अरबी–फारसी के शब्द ज्यादा थे। 'गार्सा द तासी' के इतिहास में 'हिन्दुई' तथा 'हिन्दुस्तानी' नाम ठीक इसी अर्थ में लिये गये है।

'हिन्दी' शब्द संस्कृत शब्द 'सिन्धु' से लिया जाता हैं। सिंधु शब्द ईरानी में जाकर 'हिन्दु' और फिर 'हिन्द' हो गया। बाद में ईरानी धीरे–2 भारत के अधिक भागो से परिचित होते गये और इस शब्द के विस्तार से हिन्द शब्द धीरे–धीरे पूरे हिन्दुस्तान का वाचक हो गया। हिन्द में ईरानी का 'ईक' प्रत्यय लगाने से 'हिन्दीक' बना, जिसका अर्थ है 'हिन्द का'। यूनानी शब्द इंदिका का अंग्रेजी शब्द 'इंडिया' आदि इस 'हिन्दीक के ही विकसीत रूप हैं।

प्रारम्भ में 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग हिन्दी और उर्दू दोनों के लिये होता था। 'तजकिरा–मखजन–उल–गरायब' में लिखा हैः दर ज़बाने हिन्दी की मुराद उर्दू अस्त। यहाँ 'हिन्दी' शब्द उर्दू का समानार्थी है। तो दूसरी तरफ हिन्दी के सूफी कवि नूर मुहम्मद ने कहा है,'हिन्दु मग पर पांव न राख्यौ, का बहुतै जो हिन्दी भाख्यौ। 'यहॉ इस शब्द को हिन्दी के लिये प्रयुक्त किया गया है। मुल्ला वजही, सौदा, मीर आदि ने अपने शेरों कों हिन्दी शेर (शायरी) कहा है। ग़ालिब ने भी अपने पत्रों में कई ज़गहो पर हिन्दी व उर्दू को समान अर्थ में लिखा है। उन्नीसवीं सदी के प्रथम चरण में अंग्रेजी की विशेष भाषा नीति के कारण इन दोनों को अलग–2 भाषाएं माना जाने लगा। उर्दू को मुसलमानों से तो हिन्दी को हिन्दुओं से जोड़ दिया गया, यदि अंग्रेज बीच में न आते तो ये दोनों भाषाएं एक ही होती।

'हिन्दी' शब्द हिन्दी प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियों का द्योतक हैं, तो खड़ी बोली साहित्यिक हिन्दी, हिन्दी प्रदेषों की सरकारी भाषा हैं, हिन्दी प्रदेशों में शिक्षा का माध्यम है। राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने के 64 वर्षो के बाद भी हिन्दी पूर्ण रूपेण राजभाषा नहीं बन सकी हैं जिसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जा सके। हिन्दुस्तान की विडम्बना देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि वाली हिन्दी को भारत संघ की राजभाशा घोषित करने के बाद भी प्रावधान किया गया कि संविधान लागू होने के आगामी 15 वर्षो तक अंग्रेजी

ही राजभाषा बनी रहेगी। लेकिन राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित 1967) पारित कर उपरोक्त 15 वर्षो की अवधि को बढ़ाकर भारत संध की मुख्य भाषा अंग्रेजी को ही बनाये रखने की व्यवस्था कर दी गयी। अनुच्छेद 345, 346, 347 में राज्यों को भाषा, राज्य और संघ के बीच की भाषा तथा राज्य के अधिकांश लोगों के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को मान्यता दिये जाने के प्रावधान है। अनुच्छेद 348 में सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों अधिनियमों, बिल, आदेश, नियम आदि की भाषा पहले के और अनच्छेद 350 एवम् 351 में भाषाओं के प्रयोग सम्बन्धी विशेष निर्देश दिये गये है।

संविधान के उपरोक्त प्रावधानों तथा राजभाषा विधेयक 1967 के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि राजभाषा की इस स्थिति के लिए सत्ताधारी लोग जो विदेशी भाषा के माध्यम से शासन करना चाहते हैं वे राजभाषा की वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, साथ–साथ ही कभी विद्वान व बुद्धिजीवी वर्ग ने इस बात का पुरजोर विरोध नहीं किया है, हमेशा से ही उदासीनता दिखायी है। आज भी संविधान में हिन्दी 'राजभाषा' होते हुए भी नहीं है क्योंकि अहिन्दी भाषी राज्य कभी भी हिन्दी के 'राष्ट्रभाषा' होने के पक्ष में खड़े नहीं दिखायी देते हैं। हमारे देश में हमारा एक राष्ट्रीय चिह्न है, एक राष्ट्रीय पशु, पक्षी, एवम् राष्ट्रीय प्रतीक है जो भारतीय गौरव की विश्वस्तरीय पहचान है, फिर राष्ट्रभाषा एक क्यों नही? यह प्रश्नचिह्न बार–बार मुझे उद्वेलित करता रहता है। मुझे तो लगता है कुछ प्रतिशत लोग, जिनका, सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक प्रभाव है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भाषा को मूल साधन बनाये हुए हैं। लेकिन इस प्रकार के लोग यह भूल जाते हैं कि अगर अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनानी है तो एक भाषा जनसम्पर्क का माध्यम होनी चाहिये, बरना हमारो सम्पर्क सीमित क्षेत्र तक ही रह जाता है। प्रमाण को साक्षी क्या? वर्तमान प्रशासक देश की जनता तक सीधी सरल भाषा (हिन्दी) में अपनी बात देश की जनता तक पहुँचा पायें और नतीजे में वर्तमान में बहुमत से अपनी सरकार बनाकर प्रशासक की कुर्सी तक पहुँच गये। गत समय में आप पार्टी के मुखिया भाषा (हिन्दी) के माध्यम से दिल्ली की जनता से जुडे और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचे यह एक बात है कि वह अपनी कुर्सी लम्बे समय तक नहीं संभाल सके उसके पीछे राजनीतिक कारण रहे न कि भाषा सम्बन्धी। वहीं अगर अन्य राज्यों की स्थिति देखें तो महाराष्ट्र में एक पार्टी केवल अपनी सीमित भाषा की बात करती है तो वह बहुभाषी भाषा वाले प्रदेश में सम्भव नहीं है। मेरा तात्पर्य भाषाओं का विश्लेषण करना नहीं है, मैं तो केवल भाषा के व्यवहारिक रूप की, स्तर की बात कर रही हूँ। क्योंकि भाषा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे देश को सुदृढ़, सुसंगठित व सुसम्पन्न बनाया जा सकता है। ह्रदय से प्रत्येक हिन्दुस्तानी, हिन्दुस्तानी है उसकी पहचान हिन्दुस्तानी है। अतः हमें भी हिन्दी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाए जाने के प्रयास करने चाहिए। व्यवहारिक रूप में तो हिन्दी का सर्वोच्च स्थान है इस बात को कोई माने या न माने लेकिन यह सच है, अन्य भाषा के शब्दों के अभाव में अपनी भाषा ही याद आती है। राज्य अपनी भाषा को मातृभाषा में स्वीकार्य है लेकिन प्रत्येक राज्य विविधताओं का प्रतीक है। अतः हिन्दी को व्यवहारिक स्वीकार्यता के साथ–2 संवैधानिक स्वीकार्यता देनी चाहिए।

हिन्दी भाषा का उपयोग भारत के साथ–साथ नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान आदि देशों में बहुतायत से किया जाता हैं। हिन्दी भाषा को मातृभाषा के रूप में लगभग 180 मिलियन 49 करोड़ लोग प्रयोग में लाते है। लगभग 12.22.5 करोड़ लोग हिन्दी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग करते है। हिन्दी भाषा व्यवस्थित, सरल, लचीली, साहित्य समृद्ध भाषा है। साथ ही साथ देवनागरी लिपि में होने के कारण अपनी वैज्ञानिकता भी सिद्ध करती है। आम जनता की भाषा होने के कारण पत्रकारिता एवं जनसंचार का मुख्य साधन भी हैं। यूनिकोड के आने के बाद कम्प्यूटर के द्वारा भी हिन्दी ने अपना स्थान बनाया हुआ है। इस वक्त हिन्दी में सजाल ¼Website½] चिट्ठे] ¼Blogs½] विपत्र ¼Email½] गपशप ¼Chat½] खोज ¼Web-Search½] सरल मोबाइल संदेश ¼SMS½ तथा अन्य हिन्दी सामग्री उपलब्ध है। बेब, विज्ञापन, संगीत सिनेमा और बाजार के क्षेत्र में हिन्दी भाषा की मांग निरन्तर बढ़ रही है। संसार के लगभग सभी विश्वविद्यालयों और केन्द्रों में प्राथमिक स्तर से शोध स्तर तक हिन्दी के अध्ययन–अध्यापन की व्यवस्था है। यूएई के 'हम–एक–एम' सहित अनेक देश हिन्दी कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे है, जिनमें बीबीसी, जर्मनी के डोंयचे बेले, जापान के एनएच के वर्ल्ड और चीन के चाइना रेडियों इंटरनेशनल की हिन्दी सेवा का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है।

प्रगति की ओर कदम बढ़ाने के लिए जिस प्रकार मापदण्ड तैयार किये जाते है, उनमें से भाषा भी एक मापदण्ड है, बहुभाषी व्यक्ति सफलता के नये मापदण्ड तय कर सकता है, अतः मैं तो यही प्रयास कर सकती हूँ कि हिन्दी भाषा को संवैधानिक राष्ट्रभाषा का रूप दिया जाये ताकि वह अपने व्यवहारिक रूप में अधिक सफल हों सकें, गौरवान्वित हों सकें।

भाषा की व्यवहारिक उपयोगिता मानव मात्र के लिए अलौकिक है, संसार के सारे व्यापारों के सम्पादन के एक विशेष साधन से मनुष्य को समन्वित करती हैं और समाज प्रियता का बन्धन दृढ़कर समाज–विशेष को सभ्यता और समुन्नति में पथ का पथिक बनाती है।

संदर्भः–

1- हिन्दी साहित्य का इतिहास, डा. नगेन्द्र, डा. हरदयाल पृष्ठ संख्या 6–45.
2- हिन्दी और सरकारी प्रयास
3- हिन्दी की अन्तरराष्ट्रीय भूमिकाः प्रोफेसर महावीर सरन जैन
4- विश्व में हिन्दी फिर पहले स्थान पर (डा. जयन्ती प्रसाद नौटियाल द्वारा कृत भाषा शोध अध्ययन 2007 का निष्कर्ष)